आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से ..... जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 20/सन–2024– 25

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.06.2025	–:आदेश: – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 20/सन– 2024– 25 (मो0 सिराज बनाम् अजीमउद्दीन अंसारी) आवेदक मो0 सिराज, पिता– तालो मियाँ, साकिन– बाघमारी, थाना–धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 06, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार सर्वे खतियान के अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– धुज्जी, थाना नं0– 240, खाता सं0– 24, प्लॉट नं0– 23, रकवा– 53 डी0 एवं प्लॉट नं0– 88, रकवा– 24 डी0 भूमि सर्वे रैयत गुलाब मियाँ के नाम से रैयती खाते की है। ऑनलाईन पंजी– II के भाग सं0– 2, पृष्ठ सं0– 113 पर गुलाब मियाँ के नाम से लगान रसीद वर्ष 2024 – 25 तक निर्गत है। आगे प्रतिवेदित करते है कि स्थानीय जाँच के कम में दिखाया गया स्थल परती के रूप में है। विपक्षगण – 1. अजीम उद्दीन अंसारी, पिता जाफर मियाँ 2. सकुर मियाँ, पिता– स्व0 झरी मियाँ, 3. उद्दीन मियाँ पिता हाकीम मियाँ 4. रफुल मियाँ, पिता– सदीक मियाँ 5. अबास मियाँ पिता स्व0 असरफ मियाँ सभी साकिन– धुज्जी के द्वारा बताया गया कि यह जमीन हमारे पूर्वजों को पट्टा द्वारा हासिल है। इस संबंध में उनके द्वारा उक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई, जो अब – तक अप्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। प्रथम पक्ष ने निम्न प्रकार से अपना पक्ष रखा है: – 1. यह कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन एवं हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के पश्चात मौजा धुज्जी खाता नं0 24, प्लॉट नं0 23 रकवा 53 डी0 वो प्लॉट नं0 88 रकवा 24 डिसमिल भूमि पर कार्रवाई कर आरंभ कर उभय पक्षों पर नोटिस निर्गत किया गया। 2. यह कि प्रथम पक्ष एक शांतिप्रिय एवं कानून को मानने वाले व्यक्ति है तथा लाठी व ताकत के बल पर प्रथम पक्ष की कब्जे वाली भूमि को हडपना चाहते है। 3. यह कि मौजा धुज्जी खाता सं0 24, प्लॉट नं0 23, रकवा 53 डी0 वो प्लॉट नम्बर 88 रकवा 24 डिसमिल जमीन सर्वे खतियान में प्रथम पक्ष के दादा गुलाब मियां के नाम दर्ज है। 4. यह कि गुलाब मियाँ अपने खतियानी भूमि मय् नालसी भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए एवं अपना नाम खारिज दाखिल हेतु अंचल कार्यालय धनवार में आवेदन दिए जिसे अंचल अधिकारी धनवार ने स्वीकृत कर अंचल कार्यालय के पंजी–2 के भोलुम नंम्बर एवं पेज नम्बर दर्ज कर लगान निर्धारण किया जिससे गुलाब मियाँ का हक हकीकत को सरकार ने भी स्वीकार किया। 5. यह कि गुलाब मियाँ अपने पीछे छः पुत्र (1) रसमन मियाँ (2) धनी मियाँ (3) कैला मियाँ (4) वजीर मियाँ (5) मोहन मियाँ वो (6) जीतन मियाँ को छोड़कर मरे जो अपने पिता के द्वारा अर्जीत भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए।	

5

6. यह कि रसमन मियॉ अपने पीछे दो पुत्र मुटुर मियॉ वो राजू मियॉ को छोडकर मरे तथा राजू मियॉ अपने पीछे दो पुत्र (1) जानमोहम्मद मियॉ तथा याकुब मियॉ छोडकर मेरे जो अपने पिता के द्वारा अर्जित भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए एवं मुटुर मियॉ पिता अपने पीछे चार पुत्र (1) भातु मियॉ (2) बुधन मियॉ (3) कारू मियॉ (4)अलाउदीन मियॉ को छोडकर मरे जो अपने मरे जरे अपने पिता के द्वारा अर्जित भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए।
7. यह कि धनी मियॉ अपने पीछे एक पुत्र करीम मियॉ को छोडकर मरे एंव करीम मियॉ अपने पीछे चार पुत्र (1) तालो मियॉ (प्रथम पक्ष के पिता) (2) हबीब मियॉ(3) जमरूदीन मियॉ (4) मकबूल मियॉ को छोडकर मरे जो अपने पिता के द्वारा अर्जित भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हुए।
8. यह कि कैला मियॉ अपने पीछे एक पुत्री छोडकर मरे।
9. यह कि वजीर मियॉ नावल्द मरे।
10. यह कि मोहन मियॉ अपने पीछे एक मात्र पुत्र वसारत मियॉ को छोडकर मरे तथा वसारत मियॉ नावल्द मरे।
11. यह की जीतन मियॉ अपने पीछे एक पुत्र इशाक मियॉ को छोडकर मरे तथा इशाक मियॉ अपने पीछे चार पुत्र (1) मोहम्मद यूनूस (2)मोहम्मद मोकीम (3)मोहम्मद मसूद (4) मोहम्मद सज्जाद को छोडकर मरे जो अपने पिता के द्वारा अर्जित भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार हुए।
12. यह कि प्रथम पक्ष नालसी भूमि के बाबत सरकार को माल अदाय कर अद्यतन मालगुजारी रसीद हासिल करते चले आ रहे है जिसे सरकार ने भी प्रथम पक्ष के हक हकियत व दखल कब्जे को स्वीकार किये।
13. यह कि द्वितीय पक्ष का वादगत भूमि पर एक झन की भी दखल कब्जा नहीं रहा है और ना ही कोई हक हकीयत ही है केवल बेईमानी की नियत से प्रथम पक्ष की दखल कब्जे वाली भूमि को हड़पना चाहते है। यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि द्वितीय पक्ष ने जो कागजात दाखिल किये वो बनावटी वो जाली है क्योंकि टहलू सिंह जमींदार नहीं था। क्योंकि वहॉ के जमींदार वो लगान पाने वाले कन्हाई सिंह थे।

    यहॉ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है खाता नं0 25 के रैयत सुखल मियॉ वो बिहार मियॉ ने Revenue case no 08/53-54 दयार किये थे हमें जमींदार के उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाये गये थे जिसे स्पष्ट होता है द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की भूमि को बनावटी जाली कागज के आधार पर बेईमानी के नियत से कब्जा करना चाहते है।
14. यह कि द्वितीय पक्ष का नालसी भूमि पर किसी का दखल कब्जा नहीं है और ना ही किसी तरह का हक हकियत है।
15. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के दखल कब्जे वाली भूमि को बाजबरन लाठी व ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है।
16. यह कि द्वितीय पक्षकार में से केवाला संख्या 4252 दिनाक 28.04.2000 के जरिये जमीन हासिल किये है जिसमे खतियानी से हासिल का जिक्र है इससे साफ जाहिर है कि 2000 ई0 तक खतियानधारी अपनी जमीन पर काबिज थे और द्वितीय पक्ष इसे अपने पक्ष में करने हेतु जालसाजी कर रहे है।

द्वितीय पक्ष ने निम्न प्रकार से अपना पक्ष रखा है: –

1. मैं अजीमउद्दीन मियां पिता जाफर मियां, सकुर मियां पिता झरी मियां, उद्दीन मियां, पिता हकीम मियां, रफुल मिया पिता सदीक मिया, अब्बास मिया पिता असरफ मिया हम सभी साकिन घुज्जी, थाना – धनवार जिला– गिरिडीह के निवासी है। हम सब खाता 24 रकवा 3.31 डी0 यह जमीन पर तबरीबन 85 साल से दखल कब्जे में है और जोत आबाद चला आ रहा है और इस जमीन पर अनेकों मकान है हमलोग का देश आजाद से पहले जमींदारी रसीद और बाद में बिहार सरकार और झारखण्ड सरकार द्वारा लगान रसीद और पंजी 2 में उल्लेख है। इस मुकदमा से पहले जमरूदीन मियां सन 1994 – 95 में अंचलाधिकारी के यहां मुकदमा किया था। जो उन्होंने जॉच पड़ताल कर हमलोगों का दखल – कब्जा कायम रखे। जो कागजात श्रीमान के पास जमा किया हुँ।

2. यह कि मो0 सिराज पिता तालो मिया ग्राम – बाघमारी थाना – धनवार के द्वारा अवैध रूप से पूरे रकबा का जमाबदी करवा लिया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि यह अवैध जमाबंदी जो पृष्ठ सं0– 113, वॉल्युम सं0– 2 पर रोक एवं खारिज करने की कपा करें।

सुनवाई के दौरान दिनांक– 28.12.2024 को प्रथम पक्ष मो0 सिराज ने उपस्थित हो कर कहा कि उक्त वाद में वर्णित भूमि उनकी खतियानी भूमि है। खतियान गुलाम मियां के नाम से दर्ज है तथा प्रथम पक्ष उनके परपौत्र है। खाता सं0– 24 चूँकि उनके परदादा के नाम से है अतः वे उक्त भूमि पर इस आधार पर अपना दावा करते है। उनका कहना है कि वर्ष 1980 तक भूमि पर वे लोग दखलकार थे। उसके पश्चात ही द्वितीय पक्षगण उक्त भूमि पर जोत – कोड़ खेती बारी किए हैं। द्वितीय पक्ष ने दिनांक– 28.12.2024 को उपस्थित हो कर कहा कि श्री अजमीउद्दीन अंसारी तथा अन्य का दावा है कि वाद में वर्णित भूमि उन्हें हुकुमनामा से प्राप्त है। हुकुमनामा उन्हें जमींदार से प्राप्त है। उनका कहना है कि वाद में वर्णित भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वजों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के उपरान्त उनके पूर्वजों को बंदोबस्त किया गया है। तब से वे लोग उक्त भूमि पर दखलकार हैं। हुकुमनामा में वर्ष 1345 दर्ज है। उन्होंने अपने जमाबंदी के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए है। जमाबंदी झरी मियां के नाम से मौजा घुज्जी/240 के भाग सं0– 01, पृष्ठ सं0– 91 (ऑनलाईन रजिस्टर 2) पर कायम और लगान रसीद वर्ष 2023 – 24 तक ऑनलाईन लगान रसीद प्रदर्शित किया गया है। उनका कहना है कि वे लोग उक्त भूमि पर 80 – 82 वर्ष से दखलकार चले आ रहे है।

पुनः सुनवाई के दौरान दिनांक– 29.01.2025 को प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित मे पक्ष पेश किया गया है। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में पंजी– 2 की प्रति, खतियान की ऑनलाईन प्रति तथा केवाला दलील सं0– 4252 वर्ष 2000 की छायाप्रति पेश की है। केवाला दलील में विकेता तथा केता द्वितीय पक्ष है। द्वितीय पक्ष ने दिनांक– 29.01.2025 को उपस्थित हो कर द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में 14 (चौदह) जमींदारी रसीद तथा 07 (सात) सरकारी रसीद समर्पित किया किया गया है। साथ में ऑनलाईन लगान रसीद दो प्रति समर्पित किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, धनवार के विविध वाद सं0– 12/1994– 95 में दिनांक– 08.11.1994 को पारित आदेश की छायाप्रति पेश की है। उन्होंने बताया कि वाद में वर्णित भूमि के सबध में पूर्व में विविध वाद सं.– 12/1994 – 95 में द्वितीय पक्ष के समर्थन में/पक्ष में अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। द्वितीय पक्ष के द्वारा भौतिक पंजी– 2 की दो छायाप्रति पेश कर वाद में वर्णित भूमि का लगातार लगान जमा करने तथा हमेशा उनके दखल – कब्जा की बात कही है।

उभय पक्षों के लिखित जवाब तथा प्रति परीक्षण के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अंचल अधिकारी, धनवार के विविध वाद सं0– 12/1994– 95 में दिनांक– 08.11.1994 को आदेश पारित किया जा चुका है। इस स्थिति में पुनः आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11.06.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

11.06.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.06.11 11:02:06 +05:30
Location: 192.168.137.1